



2026:AHC:162149-DB

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद
आपराधिक प्रकीर्ण रिट याचिका संख्या - 12543/2026

श्रीमती गीता देवी व 3 अन्य

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य व 3 अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता।

: अंबरीश कुमार कश्यप

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता

: शासकीय अधिवक्ता, तिवारी अभिषेक राजेश

न्यायालय संख्या - 49

माननीय न्यायमूर्ति अजय भनोट

माननीय न्यायमूर्ति दिवेश चंद्र समंत

याचिकाकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता, श्री अंबरीश कुमार कश्यप, प्रस्तुत करते हैं कि मृत्युपरांत आख्या अभियोजन के वाद का समर्थन नहीं करती और अतः एफ.आई.आर. खारिज किए जाने योग्य है।

विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता तथा प्रथम सूचनाकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री तिवारी अभिषेक राजेश का तर्क है कि संक्षेप में, एफ.आई.आर. में उल्लिखित अभियोजन का वाद यह है कि याचिकाकर्तागण सहित अभियुक्तगण ने मृतक को शारीरिक रूप से काबू में कर बलपूर्वक उसे विष पिलाया। एफ.आई.आर. में यह भी अभिलिखित है कि मृतक को विष पिलाए जाने के पश्चात, उसने तत्काल पुलिस आपातकालीन नंबर 112 पर सूचना दी और तत्पश्चात पुलिस प्राधिकारियों ने प्रथम सूचनाकर्ता को सूचित किया।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



विद्वान् अपर शासकीय अधिवक्ता निर्देशों के आधार पर आगे प्रस्तुत करते हैं कि एफ.आई.आर. के साथ-साथ अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री प्रथम-दृष्टया अपराधों के कारित होने को प्रकट करती है और इसमें गहन विवेचना अपेक्षित है। अपराध के तत्त्व याचिकाकर्तागण के विरुद्ध प्रकट होते हैं। विवेचना गतिमान है। इस प्रक्रम पर याचिकाकर्तागण की गिरफ्तारी पर रोक लगाने से विवेचना में बाधा उत्पन्न होगी, साक्ष्य की क्षति या लोप होगा और यह सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **हरियाणा राज्य बनाम भजन लाल (1992 सप्प (1) एससीसी 335)** और **निहारिका इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड बनाम महाराष्ट्र राज्य व अन्य (2021) 19 एससीसी 401** में प्रतिपादित विधि के विरुद्ध होगा।

भजन लाल (उपरोक्त) में सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया:

"102. संहिता के अध्याय XIV के अंतर्गत विभिन्न सुसंगत उपबंधों के निर्वचन की पृष्ठभूमि में तथा अनुच्छेद 226 के अंतर्गत असाधारण शक्ति अथवा संहिता की धारा 482 के अंतर्गत अंतर्निहित शक्तियों के प्रयोग से संबंधित निर्णयों की एक शृंखला में इस न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि के सिद्धांतों की, जिन्हें हमने ऊपर उद्धृत और पुनरुत्पादित किया है, पृष्ठभूमि में, हमने दृष्टांत स्वरूप निम्नलिखित श्रेणियों के वाद दिए हैं जिनमें ऐसी शक्ति का प्रयोग या तो किसी न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए अथवा अन्यथा न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के लिए किया जा सकता है, यद्यपि किन्हीं ऐसे यथार्थ, स्पष्ट रूप से परिभाषित तथा पर्याप्त रूप से माध्यमीकृत और अनम्य दिशानिर्देश अथवा दृढ़ सूत्र अधिकथित करना तथा उन असंख्य प्रकार के वादों की, जिनमें ऐसी शक्ति का प्रयोग किया जाना चाहिए, एक संपूर्ण सूची देना संभव न हो।

(1) जहां प्रथम सूचना रिपोर्ट या परिवाद में किया गया अभिकथन, यदि उन्हें उनके अंकित मूल्य पर लिया जाए और पूर्णतः स्वीकार कर लिया जाए, तब भी प्रथम-दृष्टया कोई अपराध गठित नहीं करते अथवा अभियुक्त के विरुद्ध कोई वाद नहीं बनाते।

(2) जहां प्रथम सूचना रिपोर्ट में अभिकथन तथा एफ.आई.आर. के साथ संलग्न अन्य सामग्री, यदि कोई हो, कोई संज्ञेय अपराध प्रकट नहीं करते, जो संहिता की धारा 155(2) की परिधि के अंतर्गत मजिस्ट्रेट के आदेश के अतिरिक्त, संहिता की धारा 156(1) के अंतर्गत पुलिस अधिकारियों द्वारा विवेचना को न्यायोचित ठहराए।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(3) जहां एफ.आई.आर. या परिवाद में की गई अविवादित अभिकथन तथा उनके समर्थन में एकत्र साक्ष्य, किसी अपराध के कारित होने को प्रकट नहीं करते तथा अभियुक्त के विरुद्ध कोई वाद नहीं बनाते।

(4) जहां एफ.आई.आर. में अभिकथन कोई संज्ञेय अपराध गठित नहीं करते अपितु केवल असंज्ञेय अपराध गठित करते हैं, वहां संहिता की धारा 155(2) के अंतर्गत परिकल्पित मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना किसी पुलिस अधिकारी द्वारा कोई विवेचना अनुज्ञेय नहीं है।

(5) जहां एफ.आई.आर. या परिवाद में किया गया अभिकथन इतना बेतुका और स्वभावतः असंभाव्य हैं कि जिनके आधार पर कोई भी विवेकशील व्यक्ति इस न्यायोचित निष्कर्ष पर कदापि नहीं पहुंच सकता कि अभियुक्त के विरुद्ध कार्यवाही करने हेतु पर्याप्त आधार विद्यमान है।

(6) जहां संहिता के अथवा संबंधित अधिनियम (जिसके अंतर्गत आपराधिक कार्यवाही संस्थित की गई है) के किन्हीं उपबंधों में कार्यवाहियों के संस्थित किए जाने और चालू रखे जाने पर कोई अभिव्यक्त विधिक वर्जन अंतर्गृथित है, और/अथवा जहां संहिता या संबंधित अधिनियम में व्यथित पक्षकार की व्यथा के लिए प्रभावकारी निवारण उपबंधित करने वाला कोई विशिष्ट उपबंध विद्यमान है।

(7) जहां कोई आपराधिक कार्यवाही प्रकटतः दुर्भावना से युक्त है और/अथवा जहां कार्यवाही अभियुक्त से प्रतिशोध लेने के अंतरस्थ हेतु से तथा निजी व व्यक्तिगत द्वेष के कारण उसे क्षति पहुंचाने की दृष्टि से द्वेषपूर्ण रूप से संस्थित की गई है।

103. हम इस आशय की एक सावधानी की टिप्पणी भी देते हैं कि किसी आपराधिक कार्यवाही को खारिज करने की शक्ति का प्रयोग अत्यंत विरलता से तथा सतर्कता के साथ और वह भी विरलतम में विरलतम वादों में किया जाना चाहिए; कि न्यायालय एफ.आई.आर. या परिवाद में की गई अभिकथनों की विश्वसनीयता या असलियत अथवा अन्यथा के संबंध में जांच में प्रवृत्त होने में न्यायोचित नहीं होगा तथा असाधारण या अंतर्निहित शक्तियां न्यायालय को अपनी मर्जी या सनक के अनुसार कार्य करने की मनमानी अधिकारिता प्रदान नहीं करती।"

निहारिका (उपरोक्त) में सर्वोच्च न्यायालय ने विधि को निम्नानुसार प्रतिपादित किया:

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।



"33.16. उपर्युक्त मानदंड प्रयोज्य होंगे और/अथवा उपर्युक्त पहलुओं पर उच्च न्यायालय द्वारा दं.प्र.सं. की धारा 482 और/अथवा भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत शक्तियों के प्रयोग में अभिखंडन याचिका में अंतरिम आदेश पारित करते समय विचार किया जाना अपेक्षित है। तथापि, अभिखंडन याचिका की लंबितता के दौरान विवेचना पर रोक का अंतरिम आदेश सतर्कता के साथ पारित किया जा सकता है। ऐसा अंतरिम आदेश नियमित रूप से, आकस्मिक रूप से और/अथवा यांत्रिक रूप से पारित किए जाने की अपेक्षा नहीं की जानी चाहिए। सामान्यतः, जब विवेचना प्रगति पर हो और तथ्य अस्पष्ट हों तथा संपूर्ण साक्ष्य/सामग्री उच्च न्यायालय के समक्ष न हो, तो उच्च न्यायालय को गिरफ्तार न करने अथवा "कोई प्रपीड़क कदम न अपनाए जाने" का अंतरिम आदेश पारित करने से स्वयं को विरत रखना चाहिए तथा अभियुक्त को सक्षम न्यायालय के समक्ष दं.प्र.सं. की धारा 438 के अंतर्गत अग्रिम जमानत हेतु आवेदन करने के लिए निर्दिष्ट किया जाना चाहिए। उच्च न्यायालय दं.प्र.सं. की धारा 482 और/अथवा भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत अभिखंडन याचिका को खारिज/निपटाते समय, न तो गिरफ्तार न करने और/अथवा "कोई प्रपीड़क कदम नहीं" का आदेश विवेचना के दौरान अथवा विवेचना पूर्ण होने तक और/अथवा दं.प्र.सं. की धारा 173 के अंतर्गत अंतिम रिपोर्ट/आरोप पत्र प्रस्तुत किए जाने तक पारित करने के लिए न्यायोचित होगा और न ही तदनुसार है।"

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **भजन लाल (उपरोक्त)** और **निहारिका इंफ्रास्ट्रक्चर (उपरोक्त)** में दिए गए निर्णय वर्तमान वाद के तथ्यों पर पूर्णतः प्रयोज्य हैं तथा हमें याचिकाकर्तागण को कोई अंतरिम संरक्षण प्रदान करने से निरुत्साहित करते हैं।

एफ.आई.आर. के अभिखंडन हेतु मांगा गया अनुतोष भी तदनुसार उन्हीं कारणों से अस्वीकार किया जाता है।

रिट याचिका निरस्त की जाती है।

(न्यायमूर्ति दिवेश चंद्र समंत) (न्यायमूर्ति अजय भनोट)

4 अगस्त, 2026

धनंजय

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।